नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासिनक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर

दिनांक :- 10.03.2023

सार्वजनिक सूचना

Rates for AMC of Pet Registration Mobile app and amendments in existing (Android and iOS)

नौएडा प्राधिकरण हेतु कार्यशील Pet Registration Mobile app (Android and iOS) के अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के साथ ही प्राधिकरण की नई Dog Policy को उक्त ऐप में सम्मिलित किये जाने तथा नये मॉड्यूल विकसित किये जाने हेतु मोबाइल ऐप के क्षेत्र में दक्ष एवं अनुभवी इच्छुक संस्थायें अपनी दरें सीव्ड लिफाफे (envelope) में दिनॉक 20.03.2023 सायं 5.00 बजे तक निम्नानुसार प्रारूप में कम्प्यूटर सैल विभाग, सैक्टर– 06 नौएडा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Sr.	Item Description	Rate (in Rs.) Per Item for One Year
1	Rates for AMC for Pet Registration Mobile app (Android and iOS)	
2	Alteration, modifications in existing mobile app as per NOIDA New Dog Policy and additional scope of work (Annexure-1)	
3	Registration of app on Google Play Store and iOS	
4	One Manpower Support/ for Help Desk / Coordination with public	
	Total	
	Rates for AMC for 2nd Year onwards	
5	Rates for AMC for Pet Registration Mobile app (Android and iOS) including modification and updations as per requirements	
6	Registration of app on Google Play Store and iOS	
7	One Manpower Support for Help Desk / Coordination with public / Citizen	
	Total	

Part A

Existing Mobile App (Android and iOS) has been developed / designed as below mention scope of work

Introduction

The Application Pets-Staging provides the functionality to generate certificates for pets. Pets-Staging is designed to replace the traditional way to register the pets. It also provides consistent data of all pets through the city. This application will be used by NOIDA Authority as well as the pet owners.

1. System shall provide login facility to all the users.
2. Provision to submit the form online.
3. Ability to make online payment
4. System shall provision to approve/return the form
5. System shall have provision to generate certificate
6. Provision to submit the form offline
7. Ability to manage the history of offline created form
8. System shall have provision to manage the society and manager
9. Ability to manage the dog census
10. System should have provision to manage the complaints

Stakeholders, Roles & Responsibilities

List of Stakeholders, Roles & Effects on Project

S.No.	Stakeholder	Roles	Responsibilities
1.	Individual	Applicant	Submission of registration form View the status of registration form Modify the return form View the certificate Raise the complaints
2.	Municipal Corporation Office	Staff	View the Users Verify/Return the form View the status of registration form Fill the offline form Raise the complaints

			Change the status of complaints Impose penalty/fine
		Admin	View the Users Approver/Return the form Fill the offline form Raise the complaints Manage society Manage Manager of the society
	Society Management Team	Manager	Manage Dog Census Generate report of Registered Dogs Generate report of unregistered Dogs Raise Complaint on behalf of individual

Use Cases

Use Case Diagram – Overall Functional
Index - Use Cases

S. No.	Use Case Id	Use Case Description	Actor
1.	UC-01-0	Login	All Users
2.	UC-02-0	Submitting the form	Applicant
3.	UC-03-0	View the status of the form	Applicant
4.	UC-04-0	View Users	Staff, Admin
5.	UC-05-0	Verify /Return the form	Staff, Admin
6.	UC-06-0	Approve/Return the form	Staff, Admin
7.	UC-07-0	Modify the return form	Applicant
8.	UC-08-0	View the certificate	Applicant
9.	UC-09-0	Renew the certificate	Applicant
10.	UC-10-0	Filling the application offline	Staff, Admin
11.	UC-11-0	View the history of offline created form	Staff, Admin
12.	UC-12-0	Manage Society	Admin
13.	UC-13-0	Manage manager role	Admin
14.	UC-14-0	Manage Dog Census	Manager
15.	UC-15-0	Generate report of Registered Dogs	Manager
16.	UC-16-0	Generate report of unregistered Dogs	Manager
17.	UC-17-0	Raise Complaint	Individual (Applicant)
18.	UC-18-0	Raise Complaint on behalf of individual	Manager, Admin
19.	UC-19-0	View the Complaint	Admin, Staff
20.	UC-20-0	Impose Fine	Admin, Staff
21.	UC-21-0	View the status of complaint	Individual (Applicant)

TB-02: Scope of the project

The proposed system should have the development and implementation of software-defined below:

(a) Mobile app (Android) for User/Applicant
(b) Web application for Municipal Corporation's office and society manager

To Be BPMN Diagram

Business Use Cases

- Automation of pet registration process
- Managing the process of compliant filling

Technology to be used

Android native, iOS native, Android x, iOS 14, Java, Angular, HTMLCSS, My Sql.

Part B

Points to be incorporated in existing pet registration mobile app-

1. New Payment Gateway to be integrated.
2. Different Types of MIS Reports/Dashboard to be developed as per departmental needs.
3. Integration of Pet mobile app with ERP Software and other software as per instructions.
4. Real time payment updation in ERP Software through automatic tool / web API
5. Option for editing of data entered by the applicants before final submission.
6. Receipt of the payment and the data sheet of the data entered by applicants has to be made available to applicant through download option, e-Mail, SMS and whats app.
7. Status of Application to be shown to applicant as well as department.
8. Agency shall be responsible for registration of mobile app on Google Play Store and iOS Store.
9. Technical support as and when required.
10. Provisions of New Dog Policy.
11. Directions issued from Health Department in minutes of meeting Dt. 09-02-2023 regarding pet mobile app.
12. Versions of mobile app to be maintained.

New Dog Policy as per point no. 10 (Annexure-1)

नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के Pet Dogs हेतु प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.11.2022 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में बोर्ड बैठक के निर्देशानुसार आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 एवं NGOs व आमजन से प्राप्त सुझाव के आधार पर आवारा / पालतू कुत्ते / पालतू बिल्ली हेतु नीति निम्नानुसार लागू की जाती है–

(A) आवारा कुत्तों से सम्बन्धित नीतिः–

1. AWBI (Animal Welfare Board of India) एवं शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
2. Sterilization & Anti Rabies Vaccination: -

   नौएडा प्राधिकरण द्वारा सभी आवारा कुत्तों की नसबन्दी की व्यवस्था की गई है। नसबन्दी के साथ ही एंटी रैबीज का टीका भी अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा। वर्तमान में कार्यरत दो एजेन्सियों एवं CVO के माध्यम से सरकारी अस्पताल को भुगतान के आधार पर पैनल में रखा गया है। ये एजेन्सी रोस्टर के अनुसार जिस सैक्टर या सोसाइटी में जाएंगी वहां नसबन्दी का कार्य पूर्ण करने व सम्बन्धित पदाधिकारियों से प्रमाण पत्र लेने के बाद ही अगले सैक्टर या सोसाइटी में जाएंगी। ग्रामों में यह प्रमाण पत्र वहां के पांच गणमान्य निवासियों से लिया जाएगा। टीकाकरण का पूर्ण रिकार्ड आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 / ग्राम एवं संस्था द्वारा रखा जायेगा तथा एक वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही एंटी रैबीज के लिए प्राधिकरण की नामित एजेन्सी को सूचित करना होगा। Sterilization के बाद सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 / सम्मानित ग्रामवासियों के सत्यापन / प्रमाण पत्र के बिना कोई भी धनराशि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित एजेंसियों को नहीं किया जायेगा।

3. **Shelter Home:-**

   नौएडा प्राधिकरण द्वारा आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 / ग्राम के निवासियों की सहमति व मांग पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ डॉग्स शेल्टर के लिये भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। शेल्टर होम प्राधिकरण के व्यय पर स्थापित किया जायेगा, जहां शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके कुत्तों को ही निगरानी के लिए रखा जायेगा। यहॉ पर इनका खान–पान, रख–रखाव एवं देखरेख हेतु पैरावेट की व्यवस्था सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 / ग्राम के निवासियों (जिनके द्वारा सहमति दी गई है) के द्वारा किया जायेगा, इसके लिए एक टोल फ्री न0 जारी किया जायेगा, जिस पर निवासियों द्वारा कुत्तों की आक्रामकता / उग्रता के सम्बन्ध में सूचना दी जा सकेगी। तदानुसार प्राधिकरण द्वारा नामित कर्मचारियों के माध्यम से निकटतम शैल्टर होम में इन कुत्तों को ले जाने की कार्यवाही की जायेगी। उनके स्वभाव में परिवर्तन सकारात्मक होने पर उन्हें वापस अपने स्थान पर छोड़ा जायेगा।

4. **Feeding Point:-**

   डॉग फीडर्स की मांग एवं उनके सहयोग से स्वंय आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 / ग्राम के निवासियों द्वारा फीडिंग स्थल यथावश्यकता स्वयं चिन्हित किये जायेंगे। जहॉ पर उनके द्वारा यह बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा कि "स्ट्रीट डॉग्स को भोजन इसी स्थल पर ही खिलाएं।"

   खाने एवं पानी की व्यवस्था फीडर / आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 द्वारा ही की जाएगी। यदि कोई फीडिंग पॉइन्ट चिन्हित होते हैं तो उनकी सफाई की जिम्मेदारी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। फीडर किसी भी फ्लैट / कॉमन एरिया / बैसमेंट / कॉरीडोर या किसी और के घर के गेट के सामने

खाना नहीं दे सकते।

5. **General Conditions**

(i) Stray dogs are protected under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and Rules enacted under Section 38 of the Act, particularly, the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 के नियमानुसार स्ट्रीट डॉग्स को उसके स्थान से हटाया जाना पशु क्रूरता के अधिनियम के विरूद्ध है। किसी भी प्रकार की क्रूरता की स्थिति में सूचना/साक्ष्य प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही ही जायेगी।

(ii) आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 में कुत्तों के व्यवहार/संपर्क कैसे करें इसकी जागरूकता हेतु प्रयास किया जाए।

(iii) सड़क पर रहने वाले जानवरों के प्रति आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा मानवता दिखाते हुए विशेषकर सर्दियों में सुरक्षात्मक सामग्री दी जाए।

(iv) 10 या 10 से कम देसी निराश्रित कुत्तों को सड़क अथवा पशु शरणालयों से गोद लेने वाले परिवारों को नौएडा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन से छूट दी जायेगी तथा एनिमल बर्थ कंट्रोल कैम्पस में ऐसे कुत्ते की नसबंदी एवं प्रथम टीकाकरण निःशुल्क किया जायेगा।

(v) जिस सैक्टर/ए0ओ0ए0 से मांग आई है वहाँ यथावश्यकता डॉग फीडर के पहचान पत्र सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा दिया जायेगा।

(vi) स्ट्रीट डॉग्स हेतु सीरियल नम्बर टैग प्राधिकरण द्वारा इम्पैनल्ड एजेंसियों द्वारा Sterilization के समय अंकित किया जायेगा।

(B) पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों से सम्बन्धित नीतिः—

1. **रजिस्ट्रेशन: -**

(i) सभी Pet Dogs मालिकों को Pet Dogs का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

(ii) रजिस्ट्रेशन शुल्क Pet Dogs मालिकों द्वारा Pet Dogs के रखने हेतु निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क 500/—प्रति वर्ष अप्रैल मास में देय होगा।

2. रजिस्ट्रेशन नवीनीकरणः—

(i) रजिस्ट्रेशन एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

(ii) रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य), नोएडा/लाईसेन्स प्राधिकारी के पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा रजिस्टर्ड पशुचिकित्सक द्वारा जारी टीकाकरण के कार्ड/प्रपत्र दिखाने के पश्चात ही किया जायेगा।

(iii) रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य अवश्य कराना होगा।

(iv) प्रत्येक व्यक्ति जो Pet Dog का मालिक हो, Pet Dog रखने के दिनांक से 30 दिन के अंदर अपने Pet Dog को App पर रजिस्टर कराना सुनिश्चित करेगें।

3. **Sterilization & Anti Rabies: -**

(i) चिकित्सा सम्बन्धित समस्या के मामले में परामर्शदाता पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(ii) NAPR (Noida Authority Pet Reg.) APP पर पंजीकरण शुल्क के तहत मुफ्त एंटीरेबिज वैक्सीन की सुविधा Empanelled Doctors/सरकारी अस्पताल के माध्यम से प्रदान की

जायेगी। नसबंदी एवं चिकित्सीय सहायता हेतु हैल्प लाईन नम्बर 9999352343 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

4. Pet Owner Responsibility: -

(i) सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर किसी भी समय लीश (पट्टा) में ही घुमाना अनिवार्य होगा।

(ii) कोई भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना प्रतिबंधित है।

(iii) पालतू कुत्तों को यथासम्भव सोसायटी की सर्विस लिफ्ट से ही आवागमन किया जायेगा। AWBI Guidelines के अनुसार पालतू कुत्ते का मालिक लिफ्ट में अपने पालतू कुत्ते को अत्यन्त सावधानी पूर्वक यथासम्भव मजल का प्रयोग करते हुए आवागमन सुनिश्चित करेगा। जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति या जानवर को जोखिम उत्पन्न न हो।

(iv) पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शौच किया जाता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी पालतू कुत्ते के मालिक की होगी।

(v) पालतू कुत्ते/बिल्ली की मृत्यु की स्थिति में NAPR (Noida Authority Pet Reg.) APP पर सूचित/अपडेट करना अनिवार्य होगा।

(vi) पालतू कुत्ते/बिल्ली पर क्रूरता की शिकायत के मामले में नौएडा प्राधिकरण के द्वारा शिकायत का निरीक्षण/जाँच करने के उपरान्त यदि दोष सही पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(vi) यदि पालतू कुत्ते/बिल्ली को लावारिस छोड़े जाने की शिकायत प्राप्त होने पर नौएडा प्राधिकरण के द्वारा शिकायत का निरीक्षण/जाँच करने के उपरान्त यदि दोष सही पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

5. RWA/AOA/Village Responsibility: -

(i) नौएडा प्राधिकरण के नीति के अतिरिक्त आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/गांव कोई भी अन्य प्रतिबन्ध/नियम नहीं लगा सकते है।

6. General Conditions: -

नौएडा क्षेत्र के किसी भी रिहायशी इलाके में फ्लैट/हाऊस में प्रजनन (Breeding) सेन्टर का संचालन प्रतिबन्धित है। नौएडा क्षेत्र में प्रजनन केन्द्र (Breeding Centre)/Pet Shop का सत्यापन के पश्चात् नौएडा प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(C) आवारा/पालतू कुत्ते/बिल्लियों की नीति की शर्तों का उल्लंघन करने पर निम्न आर्थिक दण्ड का प्रावधान है–

क्रम सं0	विवरण	अधिरोपित जुर्माना
1	अवशेष Pet Dog के App पर दिनांक 31.01.2023 तक बिना पेनेल्टी रजिस्ट्रेशन धनराशि	रू0 500/–
2	अवशेष Pet Dog के App पर दिनांक 01.02.2023 से दिनांक 28.02.2023 तक रू0 200/– पेनेल्टी सहित	रू0 500 + 200= रू0 700

	रजिस्ट्रेशन धनराशि	
3	अवशेष Pet Dog के App पर दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 31.03.2033 तक पेनेल्टी सहित रजिस्ट्रेशन धनराशि	रू0 700 + रू0 10 प्रतिदिन
4	Fresh/New डॉग रजिस्ट्रेशन / Renewal हेतु आवेदन 01 मई के उपरान्त किन्तु 31 मई के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो रू0 200 / – विलम्ब शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।	रू0 500 + 200= रू0 700
5	यदि 01 जून को अथवा उसके पश्चात Fresh डॉग रजिस्ट्रेशन / Renewal किया जाता है तो उस स्थिति में रजिस्ट्रेशन शुल्क, विलम्ब शुल्क के साथ अनुसूची में निर्धारित जुर्माना प्रतिदिन की दर से जमा करने के उपरान्त ही रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण किया जा सकेगा।	रू0 700 + रू0 10 प्रतिदिन
6	आवारा / पालतू कुत्ते / पालतू बिल्ली की नीति के प्रकाशन के उपरान्त नौएडा क्षेत्र में 06 माह और उससे अधिक उम्र के किसी भी स्वस्थ पालतू कुत्ते / बिल्ली की नसबंदी कराये जाने की अनिवार्यता की समय सीमा दिनांक 31.01.2023 तक बिना जुर्माना हेतु निर्धारित की गयी है। उक्त समय सीमा के पश्चात उल्लंघन किये जाने पर प्रतिमाह जुर्माना लगाया जायेगा।	रू0 2000 / – प्रतिमाह
7	अप्रिय घटना की स्थिति में आर्थिक दण्ड अध्यारोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति / जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। यदि कोई पालतू कुत्ता आवारा कुत्तों पर हमला करता है तो आवारा कुत्ते का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा ही कराया जायेगा।	रू0 10,000 / –
8	कोई भी Pet Dogs मालिक अपने Pet Dogs को किसी सार्वजनिक स्थान यथा–गली, सड़क, पार्क या सड़क के आस–पास खुला नहीं छोड़ेगा और न ही सड़क, पार्क एवं गली में गंदगी / शौच करायेगा। उल्लंघन करने पर Pet Dogs मालिक पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा ।	प्रथम बार में रू० 100 / –
		द्वितीय बार में रू० 200 / –
		तृतीय बार में रू0 500 / –
9	किसी भी Pet Dogs मालिक द्वारा व्यवसाय करने हेतु Dog Breeding Center का कार्य फ्लैट / मकान में नहीं किया जायेगा। उल्लंघन करने पर Pet Dogs मालिक पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।	रू0 5000 / –

Part C

Directions issued from Health Department in minutes of meeting Dt. 09-02-2023 regarding pet mobile app.

कार्यवृत्त

दिनांक 07.02.2023 को उप महाप्रबन्धक/वरि० परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य) द्वारा सैक्टर–94 स्थित जन स्वास्थ्य कार्यालय में नौएडा क्षेत्र में Pet Dog का वैक्सिनेशन कराने के लिए अनुबंधित संस्थाओं एवं NAPR App Design करने वाली एजेंसी के साथ एवं आम जनमानस द्वारा NAPR App में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में एवं वैक्सिनेशन करने वाली एजेंसी को NAPR App से जोड़ने के सम्बन्ध में मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें निम्न अधिकारियों एवं NAPR App से सम्बन्धित प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. श्री एस०पी० सिंह, उप महाप्रबन्धक/वरि० परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)
2. श्री आर०के० शर्मा, परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)–द्वितीय
3. श्री प्रदीप शर्मा, सहा० परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)–द्वितीय
4. श्री वाई०के० हरिश, स्वास्थ्य निरीक्षक (जन स्वास्थ्य)
5. श्री प्रीतपाल सिंह, Dr. Singh, pet Clinic
6. डॉ० कृष्णा, Krishna Life line Veterinary Hospital
7. डॉ० सुधीर सिंह, Max vetes Hospitals Pvt.ltd.
8. श्री दीपक त्यागी NAPR App प्रतिनिधि।

उक्त मीटिंग में निम्न निर्देश दिये गये–

1. NAPR App में Dog Policy सम्मिलित कराने के निर्देश दिये गये।
2. आम जनमानस द्वारा अपने Pet Dog का रजिस्ट्रेशन कराने पर यदि गलती से कोई पता या Pet Dog से सम्बन्धित सूचना गलत अंकित हो जाती है तो वर्तमान में सुधार का कोई विकल्प NAPR App में नहीं है। गलत सूचना अंकित होने पर सही सूचना भरने हेतु विकल्प बनाने हेतु NAPR App के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।
3. नौएडा द्वारा Pet Dog के वैक्सिनेशन के लिए अनुबंधित M/s Dr. Preet Pal, M/s Dr. Krishna, एवं डॉ० सुधीर सिंह के Clinic एवं CVO कार्यालय के Address, Location एवं Mobile Number का विवरण NAPR App में Integrate करने के निर्देश दिये गये। जिससे NAPR App के माध्यम से नौएडा निवासियों एवं Pet Dog का वैक्सिनेशन कराने वाली एजेंसी के मध्य मैसेज के माध्यम से सामंजस्य बनाकर नौएडा निवासियों को अपने Pet Dog का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सिनेशन की सुविधा दी जा सके।

   उपरोक्त तीनों बिन्दुओं में दर्शायी गई समस्या को NAPR App के प्रतिनिधि श्री दीपक त्यागी द्वारा दिनांक 15.02.2023 तक पूर्ण रूप से सुधार करने हेतु आश्वासन दिया गया।
4. NAPR App में जन मानस द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान Payment Account से कट जाती थी परन्तु App में स्टेटस Show नहीं होता था। NAPR App के प्रतिनिधि श्री दीपक त्यागी द्वारा अवगत कराया गया कि App Update कर दिया गया है। भविष्य में इस प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
5. पूर्व में Apple Phone में NAPR App डाउनलोड नहीं हो पाता था। NAPR के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि अब Apple Phone के द्वारा भी NAPR App को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराने हेतु App में सुधार कर दिया गया है।

नोट –

- **Coordinator is basically Helpdesk to attend the queries/ Telephonic support to public to rectify/resolve the issues raised by public and department. Incorporate the changes/ modifications in the existing mobile app.**
- **Amount is to be quoted for entire BOQ. Partially quoted rates shall not be considered.**

- संस्था द्वारा प्रस्ताव अपने लेटरहैड पर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
- संस्था द्वारा अपने लेटरहैड पर संस्था के **PAN No. , GST No.** के साथ–साथ यह भी प्रमाणित किया जाये कि वह किसी अन्य विभाग में **Black Listed** नहीं है।
- उपरोक्तानुसार बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये संस्था द्वारा विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव **(Full Specification)** एवं दरें सील्ड लिफाफे **(envelope)** में निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

सहायक महाप्रबंधक (सिस्टम),
नौएडा